POLITY MODEL ANSWER 23

Q. In light of recent events, discuss whether the office of the Governor has become an instrument of political influence. Suggest reforms to ensure its neutrality.

The office of the Governor, envisioned as an impartial link between the Centre and the states, plays a critical constitutional role in maintaining the federal structure of India. However, recent instances of alleged political interference, including delays in legislative processes and ideologically motivated appointments, have brought its neutrality under scrutiny.

Issues with the Governor's Office

1. **Political Appointments**:
    - The appointment of Governors with strong affiliations to ruling parties at the Centre, as seen in several states, has diluted the perception of impartiality. In this context, the Sarkaria Commission too recommended appointing eminent persons detached from politics.
2. **Arbitrary Dismissals**:
    - Recent instances, such as the dismissal of Governors after regime changes at the Centre, highlight concerns about using the position for political retribution. To address this, the court in *BP Singhal v. Union of India (2010)* case ruled that dismissals cannot be arbitrary but must be based on valid reasons.
3. **Misuse of Article 356**:
    - The Governor's recommendation of President's Rule, as observed in the Arunachal Pradesh crisis (2016), has been criticized for being politically motivated.
    - The Sarkaria Commission and S.R. Bommai v. Union of India (1994) emphasized limiting the misuse of Article 356 to safeguard federalism.
4. **Withholding Assent to Bills**:
    - Governors have delayed or denied assent to state bills, such as in Tamil Nadu and Kerala, creating legislative deadlocks and undermining state autonomy.
5. **Role as Chancellor of Universities**:
    - In West Bengal, disputes arose over Governors acting as university chancellors, allegedly interfering in administrative matters.

Reforms to Ensure Neutrality

- **Transparent Appointments**: Following the recommendations of the Sarkaria and Punchhi Commissions, Governors should be selected based on merit and non-partisanship, through a consultative process with the state Chief Minister.
- **Fixed Tenure**: Providing a secure term for Governors, with removal only through an impeachment-like process, as suggested by the Punchhi Commission, can safeguard their independence.
- **Limiting Discretionary Powers**: Clearly defining the Governor's discretionary powers to prevent their misuse, particularly regarding Article 356 and legislative assent, is crucial. The Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) case clarified that discretionary powers must align with constitutional propriety.
- **Removal of University Roles**: Separating the Governor's position from university administration, as recommended by the Punchhi Commission, would prevent conflicts of interest.
- **Time-Bound Decisions**: Mandating timelines for Governors to decide on bills can prevent legislative deadlocks.

Reforms to the office of the Governor are essential to ensure its neutrality and strengthen federalism. Landmark cases, such as S.R. Bommai (1994) and BP Singhal (2010), alongside recommendations from commissions, provide a roadmap for curbing political influence.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: हाल की घटनाओं के आलोक में चर्चा करें कि क्या राज्यपाल का कार्यालय राजनीतिक प्रभाव का साधन बन गया है। इसकी तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाएँ।

राज्यपाल का कार्यालय, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच एक निष्पक्ष कड़ी के रूप में देखा जाता है, भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाता है। हालाँकि, विधायी प्रक्रियाओं में देरी और वैचारिक रूप से प्रेरित नियुक्तियों सहित कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के हालिया उदाहरणों ने इसकी तटस्थता को जांच के दायरे में ला दिया है।

राज्यपाल कार्यालय से जुड़े मुद्दे

1. **राजनीतिक नियुक्तियाँ:**
    a. केंद्र में सत्तारूढ़ दलों से मजबूत जुड़ाव रखने वाले राज्यपालों की नियुक्ति, जैसा कि कई राज्यों में देखा गया है, ने निष्पक्षता की धारणा को कमजोर किया है। इस संदर्भ में, सरकारिया आयोग ने भी राजनीति से अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
2. **मनमाने ढंग से बर्खास्तगी:**
    a. केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्यपालों की बर्खास्तगी जैसे हालिया उदाहरण राजनीतिक प्रतिशोध के लिए पद का उपयोग करने की चिंताओं को उजागर करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ (2010) मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि वैध कारणों पर आधारित होनी चाहिए।
3. **अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग:**
    a. 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हेतु राज्यपाल की सिफारिश को राजनीति से प्रेरित होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
    b. सरकारिया आयोग और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने संघवाद की रक्षा के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित करने पर जोर दिया।
4. **विधेयकों पर स्वीकृति न देना:**
    a. राज्यपालों ने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में राज्य विधेयकों पर स्वीकृति देने में देरी की है या उन्हें अस्वीकार किया है, जिससे विधायी गतिरोध पैदा हुआ है और राज्य की स्वायत्तता कम हुई है।
5. **विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भूमिका:**
    a. पश्चिम बंगाल में राज्यपालों द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करने तथा कथित रूप से प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधार

- **पारदर्शी नियुक्तियाँ:** सरकारिया और पुंछी आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, राज्यपालों का चयन योग्यता और गैर-पक्षपात के आधार पर, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **निश्चित कार्यकाल:** राज्यपालों के लिए एक सुरक्षित कार्यकाल प्रदान करना, जिसमें उन्हें केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाए। पुंछी आयोग के इस सुझाव से राज्यपालों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है।
- **विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना:** राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 356 और विधायी स्वीकृति के संबंध में, महत्वपूर्ण है। नबाम रेबिया बनाम उपसभापति (2016) मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवेकाधीन शक्तियों को संवैधानिक औचित्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- **विश्वविद्यालय में भूमिका के संदर्भ में**: राज्यपाल के पद को विश्वविद्यालय प्रशासन से अलग करना चाहिए, जैसा कि पुंछी आयोग ने सुझाया था, हितों के टकराव को रोकेगा।
- **समयबद्ध निर्णय:** राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा अनिवार्य करनी चाहिए।

राज्यपाल के कार्यालय में सुधार इसकी तटस्थता सुनिश्चित करने और संघवाद को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। एस.आर. बोम्मई (1994) और बी.पी. सिंघल (2010) जैसे ऐतिहासिक मामले, आयोगों की सिफारिशों के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव को रोकने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं।